

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2016—अग्रहायण 4, शक 1938

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी

शिवपुरी, दिनांक 28 अक्टूबर 2016

क्र.-पंचा. निर्वा.14-15-2016-6893.—म. प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 17 के अनुसार म. प्र. पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में विहित की गई आरक्षण प्रक्रिया चक्रानुक्रम से लॉट निकालकर दिनांक 27, 28-10-14 को सम्पन्न हुई थी, जिसमें निम्न ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग, महिला/मुक्त के लिये आरक्षित हुई थीं. आम निर्वाचन 2014-15 एवं उपनिर्वाचन जून 2015, एवं दिसम्बर 2015, जून 2016 में उक्त ग्राम पंचायतों में आरक्षण अनुसार सम्बन्धित अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के मतदाता न होने से सरपंच पद रिक्त रह गये.

मैं ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला शिवपुरी निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता न होने के कारण म. प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 17(4) के परन्तुक में प्रावधान अनुसार कालम 3 में दर्शित अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के लिये आरक्षित ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग से अपवर्जित करते हुए कालम 5 में वर्णित वर्ग के लिये अनारक्षित घोषित करता हूँ:—

क्रमांक	नाम जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान आरक्षण की स्थिति	अपवर्जन करने के उपरान्त आरक्षण की स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शिवपुरी	कपराना	अ.ज.जा.	अनारक्षित
2	शिवपुरी	कोडावदा	अ.ज.जा. (महिला)	अनारक्षित (महिला)
3	शिवपुरी	दादोल	अ.जा.	अनारक्षित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	शिवपुरी	रातोर	अ.ज.जा.	अनाराक्षित
5	पोहरी	मालवर्वे	अ.ज.जा. (महिला)	अनाराक्षित (महिला)
6	बदरवास	सुमेला	अ.ज.जा.	अनाराक्षित
7	नरवर	सावोली	अ.ज.जा. (महिला)	अनाराक्षित (महिला)
8	नरवर	वेरखेडा	अ.ज.जा. (महिला)	अनाराक्षित (महिला)
9	पिछोर	मल्हावनी	अ.ज.जा.	अनाराक्षित
10	पिछोर	रूपेपुर	अ.जा. (महिला)	अनाराक्षित (महिला)
11	पिछोर	उमरीखुर्द	अ.ज.जा. (महिला)	अनाराक्षित (महिला)
12	पिछोर	तिघारी	अ.ज.जा.	अनाराक्षित

ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं उपसचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मण्डला

नैनपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2016

(म. प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 "क" के अन्तर्गत)

क्र.-2922/2016.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नगरपालिका नैनपुर के परिषद की बैठक दिनांक 16 अप्रैल 2013 के संकल्प क्रमांक-10 के अनुसार निम्नलिखित ग्रामों को नगरपालिका परिषद् नैनपुर में सम्मिलित किये जाने बावद् निर्णय लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है.

अनुसूची

नगरपालिका परिषद् नैनपुर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों की घोषित भूमि निम्नानुसार है:—

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम (4)	प. ह. न. (5)	घोषित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण (6)
1	मण्डला	नैनपुर	ग्राम—निवारी	16 प. ह. न.	म. सं. 1 से 528 में सम्मिलित समस्त क्षेत्र
2			ग्राम—सालीवाड़ा माल	12 प. ह. न.	म. सं. 1 से 30 -तदैव-
3			ग्राम—धनौरा	19 प. ह. न.	म. सं. 1 से 130 -तदैव-
4			ग्राम—अतरिया	19 प. ह. न.	म. सं. 1 से 235 -तदैव-

उक्त विनिर्दिष्ट क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी या प्रश्नाधीन क्षेत्र के निवासी को कोई आपत्त हो तो वह इस अधिसूचना प्रकाशित होने से 30 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. उक्त अवधि अवसान होने के पश्चात् किसी के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांकको मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर एवं उपसचिव.